

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / गुप-2 / 2020


जयपुर, दिनांक : 08.05.2021

आदेश

जयपुर शहर में स्थित धनवन्तरी होस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, वी. टी. रोड, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर द्वारा कोविड मरीजों से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने आदि की समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत की जांच हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय दल का गठन किया जाता है:-

1. श्री हर्षित वर्मा, उपायुक्त, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर एवं नोडल अधिकारी
2. डा. ओ. पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय, जयपुर
3. श्री दीपक सोनी, शासन सहायक सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग
4. श्री सूर्यकान्त आचार्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर

उक्त दल तीन दिवस में जांच कर, जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।


(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.' चिकित्सा मंत्री महोदय /
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. जिला कलक्टर, जयपुर
6. उपायुक्त, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ
11. निजी / रक्षित पत्रावली



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव